मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 2, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राधेश्याम मांदलिया, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.12 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.20 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय मंत्रीगण के आसनों के पास माननीय सदस्यगण एकत्रित होने से कार्यवाही बाधित होना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रश्नकाल के समय माननीय मंत्रीगण के आस-पास माननीय सदस्यगण एक साथ एकत्र होने के कारण कार्यवाही बाधित होती है. सदन की गरिमा बनी रहे, इसके लिए कृपया आप निर्देश दें.

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि संसदीय कार्य मंत्री जी "प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है. इसमें सभी माननीय सदस्यों को चैतन्य अवस्था में, धैर्य के साथ अपनी-अपनी जवाबदारियां निर्वहन करना चाहिये. यहां पर एकत्र नहीं होना चाहिए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 120 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 116 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि भारत सरकार ने संविधान संशोधन करके देश के सामान्य वर्ग के गरीब बेरोजगारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है. परन्तु मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय के लिए एक उप समिति बनाने की बात कही है, जबकि अनेक राज्यों ने संविधान संशोधन की मूल भावना एवं आत्मा को समझकर, बिना समिति बनाये ही इसे लागू भी कर दिया है. मुख्यमंत्री महोदय यह आश्वस्त करेंगे कि लोक सभा चुनाव के पहले मध्यप्रदेश में इस व्यवस्था को लागू कर देंगे.

5. अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

(माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व में दिये गये अध्यक्षीय निर्देश के बाद भी सदन में अव्यवस्था की ओर श्री विश्वास सारंग, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 12.05 बजे से 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 12.12 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख (क्रमश:)

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने आसंदी से पुन: अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री महोदय ने कल गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण हेतु उप समिति बनाने की बात कही थी, यह आपत्तिजनक है, गरीब नौजवानों के हितों के साथ में मध्यप्रदेश की कांग्रेस की सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह, ससंदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि कांग्रेस सरकार सामान्य वर्ग के आरक्षण के पक्ष में है, यह हमारे वचन पत्र में भी है. माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है, जबकि लागू नहीं हुआ है और सिर्फ घोषणा की है. हम इसका परीक्षण कर, प्रक्रिया तय करने के पश्चात् कार्यवाही भी करेंगे.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्र, श्री मोहन यादव, सदस्यगण ने आसंदी से पुन: अनुरोध किया कि यह आरक्षण व्यवस्था इसी सत्र से लागू होनी चाहिए. माननीय मंत्री को परिणामदायक जवाब यहां देकर समय सीमा भी बतानी चाहिए. अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अवगत कराया कि वे मंत्री महोदय को पूर्वपरम्परानुसार, आपकी मंशानुसार जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं. मुख्यमंत्री महोदय भी कल जवाब देकर सिद्धांतत: सहमति भी व्यक्त कर चुके हैं.

7. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

डॉ. नरोत्तम मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग पर गर्भगृह में आए एवं आसंदी की समझाईश पर वापिस अपने आसन पर गए. कुछ समय पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

8. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 30 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार -

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद में अनेक कॉलोनियों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त होने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरियावली विधान सभा क्षेत्र स्थित वृहद ग्राम पंचायत सानौधा में स्टाप डेम की ऊंचाई बढ़ाये जाने,
(3) श्री गिर्राज डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना जिले की दिमनी विधान सभा क्षेत्र में कई मजरे टोलों में बिजली सप्लाई न होने,
(4) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की भोपाल की सड़कों में सांकेतिक न लगाये जाने से दुर्घटना होने,
(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य की सागर जिले के राहतगढ़ से जाने वाली सड़कों की जर्जर हालत होने,

(6) श्री राहुल सिंह लोधी, सदस्य की टीकमगढ़ एवं निमाड़ी जिले में उड़द खरीदी में कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा भारी अनियमितता होने,

(7) श्री आकाश कैलाश विजयवर्गीय इन्दौर स्थित एम.वाय. अस्पताल में अव्यवस्था होने,

(8) श्री भारत सिंह कुशवाहा, सदस्य की ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-65 में गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करने,

(9) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया विधान सभा क्षेत्र से लगी वनभूमि में बाड़ न लगी होने से जानवरों द्वारा किसानों की फसलें चोपट होने,

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन नागदा जावरा मार्ग के निर्माण में तकनीकी खराबी होने के कारण सड़क दुर्घटना में लोगों की मोत होने,

(11) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की प्रदेश सरकार द्वारा गेहू उपार्जन हेतु खरीदी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने,

(12) श्री विजय पाल सिंह, सदस्य की सोहागपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ न होने,

(13) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जबलपुर में कठौता में वेस्ट टू इनर्जी प्लान्ट से प्रदुषण होने,

(14) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य की कुम्हार समाज का पुस्तैनी व्यवसाय चौपट होने के कारण रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न होने,

(15) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के अंतर्गत कृषि उपज मंडी एवं सहकारी समितियों द्वारा खरीदी में भारी अनियमितताएं किये जाने,

(16) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले के खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में किसानों को मंडियों में विक्रय किये गये मक्का एवं सोयाबीन की भावांतर राशि का भुगतान न होने,

(17) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की प्रदेश की इंदौर-अहमदाबाद नवनिर्मित फोरलेन की निर्माणकर्ता कम्पनी एवं टोल संचालक द्वारा अनियमितता करने,

(18) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य की सिवनी विधान सभा अंतर्गत लालमाटी क्षेत्र (गोपालगंज) में पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(19) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन में उ.मा.वि. पचामा एवं महाराजबाड़ा क्रमांक 2 का भवन बनाये जाने,

(20) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य की शुजालपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सेकड़ो किसानों को सोयाबीन 2017 की सूखा राहत राशि का शासन द्वारा भुगतान न किये जाने,

(21) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन संभाग में किसानों की फसलों का उपार्जन केंद्रों द्वारा पंजीयन का कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(22) श्री सीताराम, सदस्य की विजयपुर क्षेत्र के टेटरा से धोबनी तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(23) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की सीधी जिले केन्द्र स्थित विद्यालय में छात्रावास की सुविधा न होने,

(24) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले की ग्राम पंचायत उमरखोट एवं पड़रियाकला में शौचालय का निर्माण न किये जाने,

(25) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी, सदस्य की खरगौन जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित न किये जाने से युवाओं में बेरोजगारी बढ़ने,

(26) श्री मुन्नालाल गोयल, सदस्य की जिला ग्वालियर के जयरोग्य शासकीय हॉस्पिटल में भारी अव्यवस्थाएं एवं अनियमितताएं होने,

(27) श्री नीलम सिंह पटेल, सदस्य की जबलपुर नरसिंहपुर जिले में शराब दुकान के बाजू में भोजनालय की आड़ में अवैध आहातों का संचालन होने,

(28) श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा विधान सभा जिला रतलाम में कुन्दन कुटीर बालिका गृह में बालिकाओं का शारिरिक शोषण होने,

(29) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की अमरपाटन एवं मैहर जिला-सतना से फोरलेन में अधिग्रहित की गई भूमि का लोगों को मुआवजा न दिये जाने,

(30) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की विधान सभा पुष्पराजगढ़ माँ नर्मदा पठार से जल स्त्रोत नष्ट होने से जनजातीय समुदाय के लोगों शुद्ध पेयजल न उपलब्ध न होने,

संबंधी सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

9. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य तथा श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने सिवनी क्षेत्र की बण्डोल समूह नल-जल योजना का कार्य धीमी गति से होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री प्रदीप पटेल, गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा डब्बू एवं राजवर्धन सिंह (दत्तीगांव), सदस्यगण ने धार में पदस्थ आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, जबलपुर नगर निगम द्वारा प्रधान मंत्री स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (25) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए-

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की भोपाल सहित पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप फैलने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(6) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के गढपहरा-बहेरिया साहनी धामोनी सड़क निर्माण में अनियमितता संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की विजयराघवगढ़ क्षेत्र के बाण सागर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा डब्बू, सदस्य की सतना जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य की गुना जिले के नारायणपुर स्थित शक्कर कारखाने द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(10) इन्जी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले में सिंचित भूमि को असिंचित भूमि मानकर मुआवजा दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की सीधी जिले के गुलाब सागर बांध की नहरों से रिसाव व सीपेज होने के कारण भारी मात्रा में फसलें चौपट होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में पेयजल संकट संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(13) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, राहुल सिंह लोधी, पी.एल. तंतुवाय, सदस्यगण की सागर संभाग में कृषकों को उड़द खरीदी एवं भुगतान में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना नगर निगम द्वारा जलावर्धन, अमृत योजना के कार्यों में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की प्रदेश में यूरिया खाद की कमी होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री संजय शर्मा (संजू भैया), सदस्य की तेंदूखेड़ा क्षेत्र में वियर सिस्टम से स्टापडेम का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र में गरीब बेघरवार लोगों को पट्टे न दिए जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्री गिर्राज डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना जिले में कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की प्रदेश में पबजी मोबाइल गेम को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी सूचना तथा सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(20) सर्वश्री दिलीप सिंह गुर्जर, उमाकांत शर्मा, डॉ. मोहन यादव, सदस्यगण की उज्जैन के उन्हेल मार्ग पर कार व वेन की टक्कर से कई लोगों की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री संजय यादव (सिवनी टोला), सदस्य की जबलपुर जिले के बरगी क्षेत्र के पठारी एवं आदिवासी ग्रामों में पेयजल संकट संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर नगर निगम के कतिपय वार्डो में तिघरा जलाशय से पेयजल आपूर्ति न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्रान्तर्गत गौवंशों के भरण पोषण एवं ठहरने की समुचित व्यवस्था न होने संबंधी सूचना तथा पशुपालन मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू), सदस्य की मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूं उपार्जन के परिवहन घोटाले की जांच न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की सिवनी जिले की कृषि उपजमंडियों में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(2) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(3) श्री आशीष शर्मा (जिला-देवास)
(4) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(5) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(6) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला- खण्डवा)
(7) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(8) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (जिला-खरगोन)
(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(10) श्री राकेश गिरी (जिला-टीकमगढ़)
(11) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(12) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(13) श्री विक्रम सिंह राणा (गुड्डू भैया) (जिला-आगर)
(14) श्री गिर्राज डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(15) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय (जिला-कटनी)
(16) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(17) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(18) श्री इंदर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(2) श्री घनश्याम सिंह
(3) श्री देवेन्द्र वर्मा

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयवर्द्धन सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(2) श्री हरदीप सिंह डंग
(3) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
(4) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(5) श्री चैतन्य कुमार काश्यप
(6) श्री उमाकांत शर्मा

श्री पी.सी. शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री पी.सी. शर्मा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा
(2) श्री राजवर्धन सिंह
(3) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

श्री कमलेश्वर पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 15 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची के पद क्रमांक 6 में अंकित "संकल्प" बाद में लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 में उल्लिखित "संकल्प" प्रस्तावक मंत्री द्वारा अपरिहार्य कारण बताते हुए किए गए अनुरोध पर नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की चर्चा के बाद आज लिया जाएगा.

15. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य व भावांतर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 20 फरवरी, 2019 को प्रारम्भ की गई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र

सभापति महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.
उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

16. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

सरकार द्वारा किसान ऋण माफी के विरोध में डॉ.नरोत्तम मिश्र सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए तत्पश्चात् श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया.

17. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

(3) श्री कुणाल चौधरी
(4) श्री लक्ष्मण सिंह
(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(6) श्रीमती झूमा सोलंकी
(7) श्री बहादुर सिंह चौहान
(8) श्री बैजनाथ कुशवाह
(9) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया)
(10) श्री जजपाल सिंह (जज्जी)
(11) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया
(12) श्री प्रवीण पाठक
(13) श्री उमाकांत शर्मा
(14) श्री हरदीप सिंह डंग
(15) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(16) श्री गिरिराज डण्डौतिया
(17) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष

18. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में वर्णित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

19. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

20. विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 126- छिंदवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री दीपक सक्सेना ने विधान सभा के अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे दिनाँक 20 फरवरी, 2019 को स्वीकृत किया गया है.

21. समितियों के निर्वाचन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिये क्रमश: ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह-पन्द्रह तथा ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने है उतने ही उम्मीदवार शेष हैं अत: उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है –

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री कुणाल चौधरी
2. श्री गिरीश गौतम
3. श्री गोपाल सिंह चौहान
4. श्री घनश्याम सिंह
5. श्री दिनेश राय मुनमुन
6. डॉ. नरोत्तम मिश्र
7. श्री प्रवीण पाठक
8. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
9. श्री रमेश मेन्दौला
10. श्री संजीव सिंह 'संजू'
11. श्री हरदीप सिंह डंग

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री कमलेश प्रताप शाह
2. श्री करण सिंह वर्मा
3. श्री बैजनाथ कुशवाह
4. श्री भारत सिंह कुशवाह
5. डॉ. मोहन यादव
6. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
7. श्री योगेन्द्र सिंह बाबा
8. श्री राजेन्द्र शुक्ल
9. श्री विशाल जगदीश पटेल
10. श्री सुरेन्द्र सिंह 'शेरा भैया'
11. श्री सोहनलाल बाल्मीक

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अजय विश्नोई
2. श्री ग्यारसीलाल रावत
3. श्री जालम सिंह पटेल
4. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
5. श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी मुन्ना भैया
6. श्री बहादुर सिंह चौहान
7. श्री रवि जोशी
8. श्री लक्ष्मण सिंह
9. कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
10. श्री विजयपाल सिंह
11. श्री संजय यादव

श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. डॉ. अशोक मर्सकोले
2. श्री कमलेश जाटव
3. श्री कुंवर सिंह टेकाम
4. श्री पांचीलाल मेढ़ा
5. इंजी. प्रदीप लारिया
6. श्री प्रेम सिंह पटेल
7. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
8. श्री बाबू जण्डेल
9. श्री महेश परमार
10. श्री रामलाल मालवीय
11. श्री रामखेलावन पटेल
12. श्री रामलल्लू वैश्य
13. श्री सुनील सराफ
14. श्री हरिशंकर खटीक
15. डॉ. हिरालाल अलावा

श्री रामलाल मालवीय, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री आकाश कैलाश विजयवर्गीय
2. श्री केदारनाथ शुक्ल
3. श्री दिव्यराज सिंह
4. श्री दिलीप सिंह गुर्जर
5. श्री देवेन्द्र सिंह पटैल
6. श्री बिसाहूलाल सिंह
7. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय 'राजू भैया'
8. श्री विश्वास सारंग
9. श्री विक्रम सिंह राणा
10. श्री संजय उइके
11. श्री संजय शुक्ला

श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

22. संकल्प

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाना

डॉ.विजय लक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

" यत: संसद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) अधिनियमित किया गया;

और यत: मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा उक्त अनुच्छेद के खण्ड (1) के अधीन 30 दिसम्बर, 1995 को मध्यप्रदेश राज्य में उक्त अधिनियम अंगीकृत करने का संकल्प पारित किया गया;

और यत: संसद द्वारा उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 16) द्वारा उक्त अधिनियम संशोधित किया गया;

और यत: यह वांछनीय है कि उक्त संशोधन अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में लागू किया जाना चाहिए;

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह सभा संकल्प करती है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का 16) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए."

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री गोपाल भार्गव, नेत प्रतिपक्ष ने इस संकल्प पर अपना मत व्यक्त किया.

डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

23. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उदगार व्यक्त किए गए –

"मध्य प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा का दूसरा सत्र अब समाप्ति की ओर है. 4 दिवसीय इस सत्र में सदन की 3 बैठकें हुई. इस सत्र में विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए.

इस सत्र में सदन ने वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक अनुमान, वर्ष 2004-2005 के अधिकाई अनुदान, वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक (लेखानुदान) तथा वर्ष 2019-20 के वार्षिक वित्तीय विवरण को अपनी स्वीकृति प्रदान की. वहीं 6 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये.

नियम-139 के अधीन प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के संबंध में कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य व भावांतर भुगतान संबंधी लोक महत्व के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा प्रभावी ढंग से भागीदारी की गई .

इस सत्र में माननीय सदस्यों के 727 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 391 तारांकित 336 अतारांकित प्रश्न थे. ध्यानाकर्षण की कुल 278 सूचनाएं प्राप्त हुई. जिसमें 29 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 8 पर सदन में चर्चा हुई. स्थगन प्रस्ताव की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं, साथ ही कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुआ. इस प्रकार यह सत्र प्रभावी रहा .

यह पवित्र सदन प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसमें प्रदेश की जनता का विश्वास और आशाएं पल्लवित होती हैं. इस मंदिर से जन-कल्याण की धाराएं निकलें और जन-जन तक पहुंचें, हम सब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आए हैं. चाहे हम किसी भी दल से हों, किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, और वह है जनकल्याण और प्रदेश का विकास. अत: पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को सहिष्णुता और सामंजस्य के साथ अपने-अपने कर्त्तव्यों एवं भूमिका का निर्वाह करना होगा.

इस सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री सहित सभी माननीय मंत्रीगणों, माननीय सदस्यों, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधान सभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद देता हूं.

मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी और प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूं. अगले सत्र में हम सब पुन: समवेत होंगे."

श्री कमलनाथ, सदन के नेता (माननीय मुख्यमंत्री) एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी सत्र समापन अवसर पर उदगार व्यक्त किए गए.

24. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

25. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अपराह्न 6.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 फरवरी, 2019